"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 336] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 जून 2021 — ज्येष्ठ 28, शक 1943

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
निर्वाचन भवन, नार्थ ब्लाक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर

प्रकरण क्रमांक एफ-68-136/तीन(दो)/न.पा./व्यय लेखा/2019-20/1177 रायपुर, दिनांक 10 जून 2021

गुलजारी लाल नंदा, अभ्यर्थी पार्षद पद, आम निर्वाचन माह दिसम्बर 2019-जनवरी 2020, नगर पंचायत खोंगापानी, जिला-कोरिया, (छ.ग.)

आदेश
(छ.ग. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के अन्तर्गत)
पारित दिनांक 10 जून, 2021.

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), कोरिया के प्रतिवेदन दिनांक 25-01- 2020 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (एतत्पश्चात संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पंचायत खोंगापानी, जिला कोरिया, छ. ग. के दिसम्बर -2019-जनवरी 2020 में सम्पन्न आम निर्वाचन में वार्ड क्रमांक 09 के पार्षद पद के लिये निर्वाचन लड़े अभ्यर्थियों में अभ्यर्थी गुलजारी लाल नंदा भी सम्मिलित थे. निर्वाचन परिणाम 24 दिसम्बर 2019 को घोषित किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), कोरिया ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्धारित प्रपत्र में जानकारी प्रेषित की कि नगर पंचायत खोंगापानी, जिला कोरिया के आम निर्वाचन दिसम्बर 2019-जनवरी 2020 में वार्ड क्रमांक 09 के पार्षद पद के अभ्यर्थियों में से अभ्यर्थी गुलजारी लाल नंदा द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 24 दिसम्बर 2019 के पश्चात् नियत समयावधि में विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल नहीं किया गया है.

3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), कोरिया के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उक्त अभ्यर्थी गुलजारी लाल नंदा को अधिनियम की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-क एवं 32-ख के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर इस बात की हेतुक दर्शित करने के लिए कारण बताओ सूचना दिनांक 29-5-2020 को जारी की गई कि वे उक्त निर्वाचन व्यय लेखा अपेक्षित समय के भीतर विहित रीति में अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में क्यों असफल रहे तथा क्यों न उनके विरूद्ध अधिनियम की धारा 32-ग के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए उनको पांच वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए इस प्रकार चुने जाने तथा नगरपालिका का पार्षद होने के लिए निरर्हित किया जाए. कारण बताओ सूचना अभ्यर्थी गुलजारी लाल नंदा को दिनांक 27-6-2020 को तामील की गई.

4. अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ सूचना के संदर्भ में अपना जवाब डाक द्वारा दिनांक 3-7-2020 बिना हस्ताक्षर के प्रेषित किया गया जो आयोग में दिनांक 13 जुलाई 2020 को प्राप्त हुआ. आयोग द्वारा सूचना-पत्र दिनांक 16 फरवरी 2021 द्वारा अभ्यर्थी को विधिवत लिखित जवाब/अभ्यावेदन 15 दिनों के अन्दर प्रस्तुत करने लिखा गया जिसके संदर्भ में अभ्यर्थी द्वारा जवाब दिनांक 19-3-2021 डाक द्वारा प्रेषित किया गया जो आयोग कार्यालय में दिनांक 26 मार्च 2021 को प्राप्त हुआ. जवाब में अभ्यर्थी द्वारा लेख किया गया कि उन्हें दिनांक 17-2-2019 को एक प्रकरण में गिरफतार कर लिया गया था जिसके कारण लगभग 40 दिन जेल में बंद था, जिसके कारण वे 17-12-2019 के बाद की प्रक्रिया का पालन नहीं कर सके. जेल से आने के बाद उन्हें किसी प्रक्रिया का पालन के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी व सूचना नहीं थी इस कारण वह लेखा-जोखा प्रस्तुत नहीं कर सका. उनके द्वारा व्यय का लेखा जोखा जमा करने के लिए एक अवसर प्रदान करने का निवेदन भी किया गया.

5. प्रकरण में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), कोरिया द्वारा दिनांक 25-1-2020 को परिशिष्ट-53 में जानकारी प्रस्तुत कर प्रतिवेदित किया गया कि नगर पंचायत खोंगापानी, जिला कोरिया के वार्ड क्रमांक 09 के पार्षद पद के अभ्यर्थी गुलजारी लाल नंदा ने निर्वाचन व्यय लेखा आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास विहित रीति में निर्धारित समयावधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किया. यह अधिनियम की धारा 32-क (1) एवं 32-ख का उल्लंघन है. अधिनियम की धारा 32-क (1) एवं 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय लेखा, निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 2019 की कंडिका 7 (1) के तहत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नामोद्दिष्ट अधिसूचित अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दिनांक 23 जनवरी 2020 तक अनिवार्यत: प्रस्तुत करना था. अधिनियम की धारा 32-क (1), 32-क (3) एवं उसके अनुक्रम में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 2019 की कंडिका 7 तथा धारा 32-ख क्रमश: निम्नानुसार है:-

"धारा 32-क. (1) पार्षद के निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों का लेखा- प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती है, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा."

"धारा 32-क. (3) व्यय के लेखे में ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी जैसी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित की जायें."

अर्थात् अधिनियम की धारा 32-क (1), 32-क (3) एवं उसके अनुक्रम में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 2019 की कंडिका 7 अपेक्षानुसर प्रत्येक अभ्यर्थी उसकी नामनिर्दिष्ट की तारीख से निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि तक के दिन-प्रतिदिन के निर्वाचन व्ययों का लेखा स्वयं या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा पृथक और सही लेखा रखेगा/रखवायेगा तथा उसे निर्वाचन परिणाम की घोषणा के पश्चात् निर्धारित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा सार-विवरण मय शपथ-पत्र अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है.

"धारा 32-ख. निर्वाचन व्ययों के लेखे को दाखिल किया जाना- पार्षद के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 32-क के अधीन रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा."

अर्थात् अधिनियम की धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है. निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 2019 की कंडिका 07 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी की अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है.

6. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), कोरिया के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से संबंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगर पंचायत खोंगापानी, जिला कोरिया के दिसम्बर 2019-जनवरी 2020 में सम्पन्न आम निर्वाचन में वार्ड क्रमांक 09 के पार्षद पद के अभ्यर्थी गुलजारी लाल नंदा ने अधिनियम की धारा 32-क (1) तथा धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित अवधि में विहित रीति से दाखिल नहीं किया. आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना के संन्दर्भ में अभ्यर्थी ने अपने आवेदन पत्र दिनांक 19-3-2021 में इस असफलता का कारण मुख्य रूप से स्वयं के जेल में निरूद्ध रहने का उल्लेखित किया है. इस संबंध में यहां छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग उल्लेखनीय है जो इस प्रकार है -

"धारा 32-ग. निर्वाचन व्ययों का लेखा दायित्व करने में असफलता के कारण निरर्हता - यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है, कि कोई व्यक्ति -

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा यथास्थिति, नगरपालिका परिषदों या नगर पंचायत का पार्षद होने के लिए उस आदेश की तारीख से [ऐसी कालावधि, जो पांच वर्ष से अनधिक होगा, के लिए निरर्हित हो.]"

उक्त प्रावधान के प्रकाश में अभ्यर्थी द्वारा उल्लेखित कारण युक्तियुक्त नहीं है. अभ्यर्थी को यह विकल्प भी उपलब्ध था कि वह अपने निर्वाचन अभिकर्ता के माध्यम से भी निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल कर सकता था, जो कि नहीं किया गया. अत: मुझे यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थी गुलजारी लाल नंदा प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रहे हैं तथा वे इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखते हैं. तदनुसार अधिनियम की धारा 32-ग के प्रावधान अनुसार अभ्यर्थी गुलजारी लाल नंदा को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 32-ग (ख) में वर्णित कोई यथोचित कारण नहीं रखने के कारण इस आदेश की तारीख से 5 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिये इस प्रकार चुने जाने तथा नगरपालिका का पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है. अधिनियम की धारा 32-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

6. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 10 जून, 2021 को जारी किया गया.

हस्ता./-
(ठाकुर राम सिंह)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2021.